

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस घटना को एक हल्के-पन से लेती है, गम्भीरता से नहीं लेती है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक दो वर्ष पहले और अब भी जब यह विस्फोटों की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार इनके बारे में अभी तक किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंची है और क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सरकार का सी० आई० डी० विभाग ठीक तरह से काम नहीं करता है और विशेषकर यह गुप्त-चर विभाग इधर कोई गम्भीरता से ध्यान नहीं देता है ?

श्री नन्दा : इसका जवाब तो मैं चुका हूँ कि हम इसके बारे में कोई हल्केपन से गौर नहीं कर रहे हैं और हमने इस मामले में पहले से भी अधिक और भारी ढंग से काम करने का फैसला किया है।

श्री वु० प्रि० मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय पहले जामा मस्जिद में इस तरीके का एक विस्फोट हुआ था। उसके बाद वहां से चांदनी चौक में विस्फोट हुआ, चांदनी चौक से आगे चल कर महानगर पालिका अर्थात् टाउन हाल के पास हुआ फिर उससे आगे बढ़ कर यह विस्फोट पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुआ और इस तरह से हम देखते हैं कि यह विस्फोट हमारे पार्लियामेंट हाउस के नजदीक आता चला जा रहा है तो क्या इसकी गम्भीरता की ओर सरकार का ध्यान गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह फासला तो पहले भी तय हो चुका है।

श्री वु० प्रि० मौर्य : पहले जो विस्फोटों के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां हुई थीं उनके कनिक्वशांस के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उनमें क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : गिरफ्तारियां तो की हैं।

श्री नन्दा : उन में इनक्वायरी हो रही है।

श्री वु० प्रि० मौर्य : श्रीमन्, कोई गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई हैं।

श्री नन्दा : पिछले केसेज में हुई थीं।

श्री शिव चरण गुप्त (दिल्ली-सदर) : पिछले दो महीनों में दिल्ली में जो यह विस्फोट के वाकयात हुए हैं और कल दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने एक बयान में कहा है कि दिल्ली के अन्दर क्राइम के केसेज बढ़ रहे हैं तो क्या इन हालात पर गौर करते हुए भारत सरकार बताएगी कि क्या क्या कदम उठाये जायेंगे ताकि दिल्ली में यह क्राइम्स न बढ़ सकें ?

श्री नन्दा : यह ठीक है कि क्राइम की तादाद में इजाफा हुआ है और इसी के लिए गौर किया जा रहा है और इन क्राइम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से कम करने के वास्ते इंतजाम भी हो रहा है।

श्री वु० प्रि० मौर्य : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि जिन्हें पहले सजाएँ हुईं वे अब जेल से बाहर हैं या जेल के अन्दर हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब अगर वह आनी सजा पूरी कर चुके होंगे तो उनको बाहर आना ही था।

12.27 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE
ANNUAL REPORT OF THE MANGANESE
ORE (INDIA) LIMITED, NAGPUR ETC.

The Parliamentary Secretary to the Minister of Steel and Mines (Shri Thimmaiah) : On behalf of Shri Sanjiva Reddy, I beg to lay on the Table a Table a copy each of the following papers:—

- (1) (i) Annual Report of the Manganese Ore (India) Limited, Nagpur, for the year 1963-64, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

- (ii) Review by the Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. LT-3653/64].

- (2) (i) Annual Report of the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi, for the year 1963-64, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor-General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

- (ii) Review by the Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. LT-3654/64].

STATEMENTS SHOWING THE ACTION TAKEN BY THE GOVERNMENT ON VARIOUS ASSURANCES

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):

I beg to lay on the Table the following statements showing the action taken by the Government on various assurances, promises and undertakings given by Ministers during the various sessions of Third Lok Sabha:—

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| (i) Statement No. I. | Tenth Session, 1964. |
| (ii) Supplementary Statement No. II. | Ninth Session, 1964. |
| (iii) Supplementary Statement No. IV. | Eighth Session, 1964. |
| (iv) Supplementary Statement No. VII. | Seventh Session, 1964. |
| (v) Supplementary Statement No. X. | Sixth Session, 1963. |
| (vi) Supplementary Statement No. XII. | Fifth Session, 1963. |

[Placed in Library. See Nos. LT-3655 to 3660/64].

EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) RULES, 1964

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): I beg to lay on the Table a copy of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, published in Notification No. S.O. 3317, dated the 14th September, 1964, under sub-section (3) of section 17

of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-3661/64].

THE SALT CESS (AMENDMENT) RULES, 1964, ETC.

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

- (i) The Salt Cess (Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. S.O. 4037, dated the 28th November, 1964, under sub-section (3) of section 6 of the Salt Cess Act, 1953. [Placed in Library. No. LT-3662/64].
- (ii) The Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. G.S.R. 1781 dated the 11th December, 1964, under sub-section (4) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. [Placed in Library. See No. LT-3663/64].
- (iii) (a) Annual Report of the National Industrial Development Corporation Limited, New Delhi for the year 1963-1964, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor-General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.
- (b) Review by the Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. LT-3664/64].

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE CENTRAL SILK BOARD FOR THE YEAR 1962-63

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): I beg to lay on the Table a copy of Audit Report on the Accounts of the Central Silk Board for the year 1962-63. [Placed in Library. See No. LT-3665/64].